वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

Annual Administrative Report

2018

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय

गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

फोरेंसिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, एफ.एस.एल., जयपुर

निर्माणाधीन क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर

निर्माणाधीन क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर

डी.एन.ए. भवन, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अवस्थिति

- राज्य विधि विज्ञान मुख्यालय
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
- जिला मोबाइल फोरेंसिक यूनिट

N
(Not to scale)

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय

नेहरू नगर, जयपुर-302016

Website : www.home.rajasthan.gov.in

लक्ष्य

अत्याधुनिक तीव्रतर वैज्ञानिक तकनीकों से अपराध के अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध करवाकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना।

भावी दृष्टि

अपराधी के तेजी से बढ़ते हुए संसाधन, कौशल, चातुर्य एवं निपुणता को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरन्तर तकनीकी सुदृढ़ीकरण किया जाना, जिससे अपराधी की शीघ्रातिशीघ्र पहचान सुनिश्चित की जा सके। भौतिक साक्ष्य के फोरेंसिक महत्त्व से पुलिस, अभियोजन व न्यायपालिका को अभिज्ञानित कराना ताकि अपराध उन्मूलन में प्रभावी योगदान देते हुए अपराध सिद्धि की दर में वृद्धि हो सके।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	वैधानिक स्थिति, कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य	2
2	प्रकरणों का निष्पादन	3
3	तकनीकी सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	3-9
4	राज्य विधि विज्ञान निदेशालय: अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका	9
5	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: चरणबद्ध विकास	10
6	संगठनात्मक चार्ट	11
7	संगठनात्मक स्वरूप	12
8	नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि	13
9	प्रकरण सांख्यिकी	14-15
10	महत्त्वपूर्ण प्रकरण	16-20
11	घटना स्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण	20-23
12	राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स का पता व दूरभाष	24-26
13	वर्ष 2018 में क्रय, रिपेयर/अपग्रेडेशन व ए.एम.सी. उपकरणों की सूची	27
14	वर्ष 2018 की उपलब्धियाँ	28
15	भविष्य की योजनाऐं	28

वैधानिक स्थिति, कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य

वैधानिक स्थिति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 : न्यायालय को तकनीकी प्रश्नों पर तथ्यात्मक निष्कर्ष एवं विवरण प्रस्तुत करने हेतु विशेषज्ञ राय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

राजकीय फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 के अन्तर्गत बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में मान्य है। धारा 293 (4) में किसी केन्द्रीय अथवा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक को राजकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है।

फोरेंसिक विशेषज्ञ : एफ.एस.एल. में विज्ञान की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित व्यक्ति ही विशेषज्ञ हैं। विशिष्ट योग्यताधारित अपराध की विशेषज्ञ भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं जो संबंधित जाँच एजेन्सी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।

कार्यप्रणाली

पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये घटनास्थल व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा एक 'टीम वर्क' के रूप में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं:-

1. अपराध की वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान हेतु घटनास्थल का निरीक्षण।
2. जाँच अधिकारी को भौतिक साक्ष्य के वैज्ञानिक महत्व व इससे प्राप्त होने वाली साक्ष्य बाबत् जागरूक करना।
3. घटनास्थल, संदिग्ध/आरोपी एवं पीड़ित से प्राप्त अपराध प्रादर्शो का वैज्ञानिक विश्लेषण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करना।
4. वैज्ञानिक साक्ष्यों को श्रृंखलाबद्ध कर अपराध कारित करने की विधि व उद्देश्य का खुलासा करने में योगदान।
5. विभिन्न न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।

इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों को अपराध अनुसंधान सम्बंधी प्रशिक्षण/ व्याख्यान दिये जाते हैं जिससे प्रयोगशाला द्वारा अपराध अनुसंधान में दी जा रही सहायता की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकें।

प्रयोगशाला में प्रादर्शो का परीक्षण एवं विश्लेषण कार्य विभिन्न विषयों से सम्बंधित अनुभागों में उनके लिए ''डायरेक्ट्रेट ऑफ फोरेंसिक साईन्स सर्विसेज, गृह मंत्रालय, भारत सरकार'' द्वारा निर्धारित मेनुअल्स के अनुसार पूर्ण गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक कार्यो का पर्यवेक्षण सहायक निदेशक/उपनिदेशक द्वारा किया जाता है। सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य सहायक स्टाफ को मिलाकर एक वर्किंग यूनिट का गठन किया जाता है।

एफ.एस.एल. में प्रकरणों के परीक्षण का कार्य सामान्यत: ''फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व'' आधार पर किया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे न्यायालय में केस की सुनवाई निर्णय की स्टेज पर होने, आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में होने या जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होने, न्यायालय अथवा अनुसंधान की कार्यवाही बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाने अथवा प्रकरण के सामाजिक तौर पर अतिसंवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मामलों इत्यादि में प्राथमिकता पर भी परीक्षण किया जाता है। अति-संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता पर परीक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है। वैज्ञानिक जाँच में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि प्रकरण की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

प्रशासनिक परिदृश्य

जयपुर मुख्यालय पर उच्च तकनीकी व आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित राजस्थान की मल्टीडिस्प्लीनरी प्रयोगशाला एवं समस्त संभागों पर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निदेशक द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2006 से प्रयोगशाला राज्य सरकार के गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य कर रही है एवं वर्ष 2010 में निदेशक को विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सामान्य प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक/ उपनिदेशक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते है।

वर्तमान में जयपुर मुख्यालय पर निदेशालय राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य सभी संभाग मुख्यालयों -जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व भरतपुर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें तथा राज्य के समस्त जिला

मुख्यालयों पर 34 जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्य कर रही हैं। जयपुर स्थित शीर्षस्तरीय मुख्य प्रयोगशाला में विधि विज्ञान के 13 विषयों में, क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालायें उदयपुर व बीकानेर में 5, जोधपुर, कोटा व भरतपुर में 4 व अजमेर में 3 खण्डों में परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 416 पद स्वीकृत है, मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग के 41, वाहन चालक एवं सहायक संवर्ग के 57 पद स्वीकृत है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के वर्तमान में 206 पद रिक्त हैं जिन को भरे जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर जारी है।

प्रकरणों का निष्पादन

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय जयपुर एवं क्षेत्रीय स्तर की जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2018 (30 नवम्बर तक) में 31,313 अपराध प्रकरणों के 1,66,638 प्रादर्शो का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया गया एवं फोरेंसिक रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई गई। वर्ष भर ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक रही जिनमें अपराध के तरीके सामान्य से जटिल थे और सामाजिक तौर पर अधिक संवेदनशील थे। प्रकरणों के परीक्षण के आंकड़े परिशिष्ठ में खण्डानुसार दर्शाये गये हैं।

फोरेंसिक रिपोर्ट्स से जहां एक ओर अपराध अन्वेषण को दिशा देने में सहयोग प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध साबित करने में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में न्यायालयों द्वारा एफ.एस.एल. की 'एक्सपर्ट रिपोर्ट' को भरोसेमंद मानकर महत्त्व देते हुए अपराधियों को सजा सुनाई हैं।

एफ.एस.एल. वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2018 में (30 नवम्बर 2018 तक) कुल 1772 अपराध घटनास्थलों को निरीक्षण किया गया।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण

राजस्थान के सभी जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में अपराध अनुसंधान में जाँच एजेन्सी को अपराध से सम्बंधित पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध करवाने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला का तीन चरणों में निम्नानुसार विकास हुआ है :-

प्रथम चरण:-

मुख्य प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा नवीनतम तकनीक का निरन्तर समावेश किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने उन्नत वैज्ञानिक सुविधाओं को विकसित किए जाने के फलस्वरूप न केवल तकनीकी श्रेष्ठता अर्जित की है अपितु अपने द्वारा जारी श्रेष्ठ एवं गुणवत्तायुक्त परीक्षण रिपोर्ट के कारण भारत की उच्च कोटि की अग्रणी प्रयोगशालाओं में अपना स्थान बना लिया है। वर्तमान में प्रयोगशाला आतंककारी, हिंसक, तस्करी, आर्थिक अपराध, घूसखोरी, भूमाफिया, जालसाजी, मादक, विस्फोटक, वन्यजीव अपराध, साइबर अपराध, जाली मुद्रा एवं अन्य संगठित अपराधों के प्रादर्शो की जाँच में सक्षम है। प्रयोगशाला में सामान्य अपराधों की जाँच, भौतिक साक्ष्य एवं अन्य विवरण निम्न प्रकार है-

जैविक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति :- बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, आग से जलने, डूबना, मृत्योपरान्त समयान्तराल, अपहरण, चोरी-डकैती के धारा 302, 307, 376, 377, 363, 366, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी से सम्बन्धित व एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राज. गोवंश संरक्षण एक्ट आदि से सम्बन्धित अपराध आदि।

(2) भौतिक साक्ष्य :- वीर्य के धब्बे युक्त कपड़े, वेजाइनल व यूरेथ्रल स्वाब-स्मीयर, बाल, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि पर लार, अस्थियाँ, दाँत, कपाल, नाखून, त्वचा, उल्टी, माहवारी रक्त, गर्भपात के समय का रक्तस्राव, भ्रूण, विसरा में डायटम, नारकोटिक पौधे जैसे भाँग-गाँजा, डोडा पोस्त आदि, नकली सिगरेट, बीड़ी, गुटका के तम्बाकू, नकली चाय, कीटों, वानस्पतिक पदार्थ जैसे पत्तियां, रेशे, लकड़ी, बीज, परागकण आदि, पक्षियों के अंग, जन्तुओं के मांस, बाल, हड्डियां, खुर, सींग, चमड़ा, हाथी दाँत आदि।

(3) उपकरण:- हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड रिसर्च

माइक्रोस्कोप, सुपर इम्पोजीशन डिवाइस, हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड स्टिीरियो जूम माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, माईक्रोटोम, ऑवेन, इन्क्यूबेटर, डीप फ्रीजर आदि।

स्टेरियोजूम माइक्रोस्कोप पर वन्य जीव प्रादर्शों का विश्लेषण   रिसर्च माइक्रोस्कोप पर दुष्कर्म प्रकरणों का विश्लेषण

सीरम खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- रक्त से सम्बन्धित हिंसक अपराध, हत्या, प्रहार, दुष्कर्म, नवजात शिशु की अदला-बदली, संदिग्ध पैतृकता, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, राजस्थान गोवंशीय संरक्षण एक्ट आदि की धारा 302, 307,323, 376, 377, 201 आईपीसी से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

(2) भौतिक साक्ष्य:- शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट-बीड़ी, गुटका पर उपस्थित लार, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, मिट्टी एवं विभिन्न प्रकार के हथियार आदि।

(3) उपकरण :- माइक्रोस्कोप, ऑवेन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर रक्त समूह की जाँच करते वैज्ञानिक

डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:-हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, नवजात शिशु की अदला-बदली, संदिग्ध पैतृकता, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान, गुमशुदगी, बम विध्वंश, आतंकी एवं आपदा विध्वंशात्मक घटना, मानव तस्करी आदि से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

(2) भौतिक साक्ष्य:- शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट-बीड़ी, गुटका, लिफाफा व च्यूइंगम पर उपस्थित लार, टूथब्रश, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, भ्रूण, सड़े-गले, क्षत-विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से अथवा बम-विध्वंश के उपरांत प्राप्त शव के उत्तक-अंग, मिट्टी आदि।

(3) उपकरण :- ऑटोमेटेड डी.एन.ए. एक्सट्रेक्टर, पी.सी. आर., जेलडॉक सिस्टम, रियल टाइम पी.सी.आर, जीन सिक्वेंसर, रेफ्रीजरेटेड माइक्रोसेन्ट्रीफ्यूज मशीन, लेमीनर फ्लो, शेकिंग वाटरबाथ आदि।

डीएनए जीन सिक्वेंसर पर कार्य करते वैज्ञानिक

नारकोटिक्स खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- एनडीपीएस एक्ट, एक्साईज एक्ट एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त नशीले एवं मादक पदार्थो से संबंधित प्रकरण।

(2) भौतिक साक्ष्य:- 1.मादक पदार्थ :- डोडा पोस्त, अफीम तथा उससे निर्मित मादक पदार्थ जैसे स्मैक (ब्राउन शुगर या हेरोइन), चन्डू, मदक आदि। केनाबिस प्लांट प्रोडक्टस:- भाँग, गांजा, चरस आदि तथा कोकीन। 2. मन:प्रभावी पदार्थ:- मैन्ड्रैक्स, मेथाक्यूलोन, बारबीच्यूरेट्स, बेन्जोडायजेपीन, केटामिन, एल.एस.डी., एम्फीटामिन्स आदि ड्रग्स। 3.प्रतिबंधित रसायन :- जैसे एसीटिक एनहाइड्राइड, एन्थ्रेनेलिक एसिड, क्लोरो एसीटिक एसिड तथा मादक पदार्थो के व्युत्पन्न के निर्माण में प्रयुक्त रसायन।

(3) उपकरण:- एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी.एल.सी., यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आदि।

रसायन खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- अवैध शराब, शराब माफिया, जहरीली शराब त्रासदी, 16/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम, रिश्वत, मिलावट, हत्या, तेजाब से जलाने के, 7, 13, 1 डी (2) भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, धारा 420, 302, 307 आईपीसी से सम्बन्धित प्रकरण, धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) भौतिक साक्ष्य:- देशी व विदेशी शराब, अवैध शराब, तेजाब से जले कपड़े, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, ट्रेप घोल (ए.सी.बी. केसेज) आदि।

(3) उपकरण:-एच.पी.एल.सी., गैस क्रोमेटोग्राफ, यू.वी. विजिबल स्पक्ट्रोफोटोमीटर, डिजिटल बैलेंस, ओवन, मेल्टिंग पांइट उपकरण, डिस्टिलेशन उपकरण, आदि।

डीजल एवं गैसोलीन एनालाइजर पर डीजल व पैट्रोल पदार्थों के परीक्षण करते वैज्ञानिक

आर्सन एवं एक्सप्लोजिव खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- आगजनी, धोखाधड़ी, दहेज हत्या व आवश्यक वस्तु 3/7 ई.सी. एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, धारा 302, 307 आईपीसी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) भौतिक साक्ष्य:- ज्वलनशील पैट्रोलियम पदार्थ, विलायक (सॉल्वेन्ट), एक्सप्लोजिव्स मोबिल ऑयल, दहेज हत्या व आगजनी, विस्फोटक पदार्थ, आई.ई.डी. व विस्फोट जनित अवशेष।

(3) उपकरण:-पेट्रोल एवं डीजल एनालाइजर, एच.पी.एल.सी., गैस क्रोमेटोग्राफ, आटोमैटिक डिस्टिलेशन उपकरण, फ्लेश पाइंट उपकरण आदि।

गैस क्रोमेटोग्राफ पर पैट्रोलियम पदार्थ का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

भौतिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- वाहन चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट-पाट, अपहरण, औद्योगिक एवं वाहन दुर्घटना, हत्या, टक्कर मारकर भागना, सड़क, बाँध, पुल, भवन सामग्री में मिलावट, आगजनी एवं शॉर्ट सर्किट, आरपीजीओ, स्टिंग ऑपरेशन, भ्रष्टाचार प्रकरण, 420 आईपीसी जालसाजी, कापीराईट एक्ट।

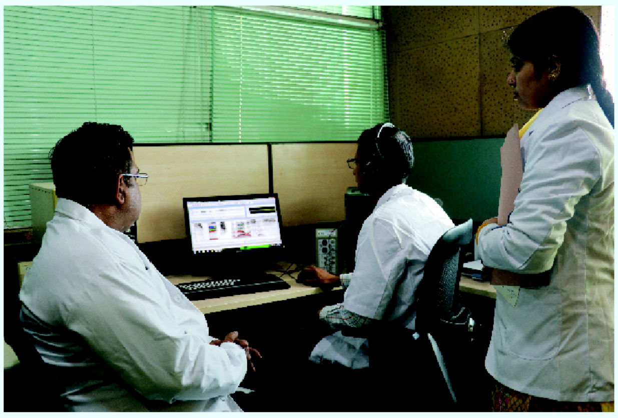

सीएसएल उपकरण पर आवाज (वाणी) का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्य :- मोटर कार, काँच, पेंट, मिट्टी, जूते/टायर निशान, औजार चिन्ह, रेशे, कपड़े, रस्सी, रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट से छेड़-छाड़, आग्नेय शस्त्र व वाहनों के इंजन/चेसिस नम्बर, नकली सामान, विद्युत आघात, विद्युत चोरी, अभियांत्रिक मशीन के भाग एवं औजार, भवन एवं औद्योगिक भवन का गिरना, सीमेंट कंकरीट, ईट व अन्य सड़क सामग्री, सरिया, आवाज (ऑडियो) विश्लेषण द्वारा अपराधी की पहचान, फाँसी फंदा, कट मार्क्स, जुआ खेल, आगजनी, कॉपी राईट आदि।

(3) उपकरण :- एफ.टी. रमन, ग्रीम, स्केनिंग इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोप, एक्स.आर.एफ., कम्प्यूटराईज्ड स्पीच लैब (मॉडल-4500) आदि।

साईबर फोरेन्सिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:-इंटरनेट जनित ई-कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई-बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/जासूसों/ घुसपैठियों/ आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग/ टेंपरिग/डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ-सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवीफूटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटरए मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि से सम्बंधित अपराध।

(2) भौतिक साक्ष्य:-साईबर/कम्प्यूटर क्राइम से सम्बन्धित समस्त प्रोगामयुक्त इलेक्ट्रॉनिक/मेमोरी स्टोरेजयुक्त

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईल फोन, टैबलेट सिमकार्ड, पेनड्राईव, मेमोरीकार्ड, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन, ए. टी.एम. मशीन, मैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्वैपिंग मशीन, सॉफ्टवेयर इत्यादि।

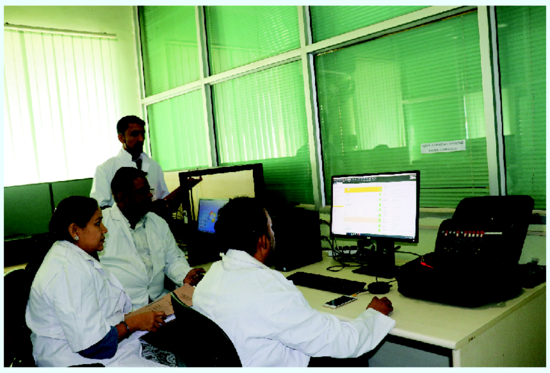

मोबाइल फोन फोरेंसिक एक्स आर वाई साफ्टवेयर पर डेटा का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण:- कम्प्यूटर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर- एनकेस फोरेंसिक वर्जन 8.05, एफ.टी.के. इंटरनेशनल वर्जन 6.3, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, हाई स्पीड क्लोनर/इमेजिंग डिवाइस। मोबाईल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर-एक्स. आर. वाई. वर्जन 7.9, सेल डेक टेक टूलकिट आदि।

विष खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- हत्या, आत्महत्या, जहरखुरानी, दुर्घटना द्वारा मृत्यु जिसमें विष का संदेह हो, सर्पदंश, जन्तु विष, सामूहिक आपदा एवं 302, 328, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी, वन्य जीव एक्ट व राज. गोवंश संरक्षण एक्ट इत्यादि के अपराध।

(2) भौतिक साक्ष्य:- विसरा, पेट की धोवन, उल्टी, रक्त, मूत्र में विष व विषजनित पदार्थ, जहरीली शराब, मादक व शामक औषधि, कीटनाशक दवाएं।

यू.वी.विजिबल स्पक्ट्रोफोटोमीटर उपकरण पर ड्रग परीक्षण करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण:- यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफ.टी. आई.आर., डी.आई.पी. युक्त गैस क्रोमेटोग्राफ-मास स्पेक्ट्रोमीटर हेडस्पेस, एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी.एल. सी., माईक्रोवेव सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर आदि।

प्रलेख खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- भूमाफिया व जालसाजी, धोखाधड़ी, घोटाला, फिरौती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, कापी-राइट एक्ट, ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट।

(2) भौतिक साक्ष्य:- हस्तलेख, हस्ताक्षर, बैंक चेक, जायदाद खरीद/फरोख्त/हस्तांतरण संबंधी कागजात, टाइप लेख, दस्तावेजों में कांट-छांट, गुप्त लेख, रबर सील छाप, स्याही व कागज मिलान, जाली नोट, फोटोकापी मिलान, प्रिंटेड लेबल मिलान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन व क्रय-विक्रय के पत्रादि, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, स्टाम्प पेपर, क्रेडिट कार्ड इत्यादि।

(3) उपकरण:- स्टीरियो जूम माईक्रोस्कोप, वी.एस.सी. 6000, यू.वी. उपकरण आदि।

आधुनिक प्रोजेक्टिना डॉकू सेंटर उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

अस्त्रक्षेप खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- हत्या, हत्या का प्रयास, आत्महत्या, दुर्घटनावश गोली चलना, लूट- डकैती, अपहरण, दहशत फैलाना, डराना-धमकाना आदि।

(2) भौतिक साक्ष्य:- विभिन्न आग्नेयास्त्र व उसके हिस्से, कारतूस, खोखा कारतूस, डॉट, छर्रे, बुलेट, बारूद,

आग्नेयास्त्र की जाँच करते वैज्ञानिक

परकुशन कैप, टारगेट जहाँ पर छर्रे अथवा बुलेट लगी, देशी तमन्चा, आर्म्स एक्ट के हथियार इत्यादि।

(3) उपकरण:- कम्पेरिजन माईक्रोस्कोप एवं वेलोसिटी मेजरिंग यूनिट आदि।

पॉलीग्राफ (लाई - डिटेक्शन) खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान।

(2) भौतिक साक्ष्य:- संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता के दिए गये बयान आदि।

(3) उपकरण:- कम्प्यूटराईज्ड पोलीग्राफ उपकरण (मॉडल एल.एक्स. 5000) आदि।

फोटो खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- अपराध प्रदर्शन/घटनास्थल की फोटोग्राफी, विशेष फोटोग्राफी, ट्रिक फोटोग्राफी, फोटो-मिलान, अध्यारोपण आदि।

(2) भौतिक साक्ष्य:- धोखाधड़ी, जमीन- जायदाद/ स्टाम्प पेपर के फोटोग्राफ, पासपोर्ट व अन्य पहचान पत्रों पर फोटोग्राफ का परीक्षण।

(3) उपकरण एवं सॉफ्टवेयर:- एच.पी. डिजाइन जेट प्लॉटर एंव फेस फोरेंसिक सॉफ्टवेयर।

न्यायालयिक विज्ञान के सिद्धान्त

1. वैयक्तिता का नियम : प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक अथवा कृत्रिम अपने आप में विशिष्ट होती है। वह किसी भी अन्य वस्तु के शतप्रतिशत समान नहीं हो सकती।

2. लोकार्ड का विनिमय सिद्धान्त : सम्पर्क में आने पर वस्तुओं एवं चिन्हों का सदैव आदान प्रदान होता है।

3. प्रगतिशील परिवर्तन का नियम : समय व्यतीत होने के साथ हर वस्तु में परिवर्तन होता है।

4. तुलना का सिद्धांत : केवल एक प्रकार की वस्तुओं की ही तुलना की जा सकती है।

5. विश्लेषण का सिद्धांत : परीक्षण हेतु भेजा गया नमूना जितना अच्छा होता है परिणाम उतने ही अच्छे होते है।

6. संभावना का सिद्धांत : निश्चित या अनिश्चित प्रत्येक प्रकार की पहचान सदैव संभावना के आधार पर ही की जाती है।

7. परिस्थितिजन्य तथ्यों का नियम: व्यक्ति झूठ बोल सकता है किन्तु भौतिक साक्ष्य कदा्चित नहीं।

सामान्य प्रकार के अपराधों के अतिरिक्त निम्न अग्रणी, हाई-टेक एवं अत्याधुनिक क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक के साथ परीक्षण कार्य किया जाता है :-

सामान्य प्रकार के अपराधों के अतिरिक्त निम्न अग्रणी, हाई-टेक एवं अत्याधुनिक क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक के साथ परीक्षण कार्य किया जाता है :-

1	साईबर फोरेंसिक्स (कम्प्यूटर फोरेंसिक, मोबाईल फोरेंसिक व नेटवर्क फोरेंसिक)	इंटरनेट जनित ई-कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई-बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/जासूसों/ घुसपैठियों/ आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग/ टेंपरिंग / डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ-सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त स्टिंग ऑपरेशन, विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवीफूटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण का परीक्षण कार्य जयपुर स्थित प्रयोगशाला में किया जा रहा है।
2	वाणी (ऑडियो) परीक्षण	अपहरण, रिश्वत खोरी, होक्स (टेलीफोन) कॉल अथवा धमकी देने के मामलों में आवाज से व्यक्ति विशेष की पहचान के सबूत जुटाने के लिए कम्प्यूटराइज्ड डिजिटल वॉयस एनालाईजर प्रयोग में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुप्त डिजिटल रिकॉर्डर से स्टिंग आपरेशन से कूटरचित ऑडियो रिकार्डिंग की सत्यता परखाने के लिए उन्नत उपकरण प्रयोग में लिये जा रहे है।
3	वाइल्ड-लाइफ फोरेंसिक्स	वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए जयपुर एफ.एस.एल. में वन्य जीवों के अंगो व अवशेषों का परीक्षण किया जा रहा है।
4	फोरेंसिक डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग	बलात्कार, हत्या जैसी हिंसक वारदातों में अपराधी की पहचान, संदिग्ध पैतृकता में पिता की पहचान, कंकाल से मृतक की पहचान, दहेज हत्या, गैंग रेप, विकृत शवों से गुमशुदा व्यक्ति की पहचान के लिए एवं भ्रूण हत्या के मामलों के परीक्षण के लिए जयपुर में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जाँच की जाती है।
5	पॉलीग्राफ परीक्षण	धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान की जाती है।

द्वितीय चरण:-

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उपयोग के क्षेत्र को बढ़ाने के क्रम में संभागीय मुख्यालयों पर परीक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित क्षेत्रीय प्रयोगशालाऐं आधुनिकतम भवनों में कार्य कर रही हैं। बीकानेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, अस्त्रक्षेप, विष, जैविक तथा सीरम खण्ड में कार्य प्रांरभ किया जा चुका है तथा क्षेत्रीय प्रयोगशाला बीकानेर के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अजमेर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में रसायन, विष व सीरम खण्ड कार्यरत हैं। अजमेर की स्वयं की क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर में जैविक, सीरम, विष एवं भौतिक खण्ड द्वारा परीक्षण कार्य किया जा रहा है, एवं भवन के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में स्वीकृत जैविक खण्ड का कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

तृतीय चरण:-

साक्ष्य सामग्री के वैज्ञानिक विधियों से शीघ्र से शीघ्र चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर फोरेंसिक मोबाईल यूनिट्स कार्यरत है, जो घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर जाँच अधिकारी को वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता देती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक यूनिट में फोरेंसिक वैज्ञानिक, वाहन, उपकरण एवं रसायनों की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान वन सेवा, लोक अभियोजक, चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं विभिन्न राज्यों से आगंतुक अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को न्यायालयिक विज्ञान सम्बंधी व्याख्यान एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एफ.टी.आर.आई.) के भूतल भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें वर्ष 2018 में 180 फोरेंसिक वैज्ञानिकों तथा पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रयोगशाला के वैज्ञानिक द्वारा देश के विभिन्न संस्थानों व विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिये गये। प्रयोगशाला के अनेक वैज्ञानिकों के शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हुए। प्रयोगशाला के विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों को देश के उच्च वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवा कर आधुनिक विधियों से अद्यतन करवाया जाता है।

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका

आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भों के रूप में पुलिस एवं न्यायालय के मध्य राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एक अभिन्न एवं संयोजी कड़ी के रूप में कार्यरत है। बहुवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में प्रामाणिक वैज्ञानिक विधियों एवं अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से अपराध सम्बंधी भौतिक सामग्री (आपराधिक प्रादर्शो) का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्ट अपराध में संदिग्ध व्यक्ति की लिप्तता स्थापित करने हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य है। 'एक्सपर्ट ओपिनियन' के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली ये रिपोर्ट निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जारी की जाती है।

प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले प्रकरण आईपीसी, सीआरपीसी, पोक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, आई.टी. एक्ट, महिला अशिष्ट निरूपण एक्टए ऑफिशियल सीक्रेटस एक्टए कॉपीराईट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, आरपीजीओ एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, गौवंश संरक्षण एक्ट से सम्बन्धित होते है। फोरेंसिक रिपोर्ट मुख्यत: राज्य की पुलिस एवं न्यायालयों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सी.बी.आई., राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नारकोटिक्स, रसद, आबकारी, रेल्वेज, कस्टम, आयकर, वन, सैन्य विभाग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को भी रिपोर्ट दी जा रही है।

प्रयोगशाला में जाँच हेतु विभिन्न प्राधिकृत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले अपराध प्रादर्शो के परीक्षण के अतिरिक्त अन्वेषक संस्थाओं को अन्वेषण की दिशा तय करने के लिए घटना स्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य सामग्री के चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण में वैज्ञानिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे अपराध के घटित होने, घटना का समय काल, तरीका एवं अपराधी तक पहुचने में मदद मिलती है।

जटिल अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रकरण विशेष की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास कार्य भी किये जाते है। ये शोध एवं विकास कार्य विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में जारी शोध कार्यो की अपेक्षा विशिष्ट एवं भिन्न होते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चरणबद्ध विकास

1. वर्ष 1959 में राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना गृह विभाग के आदेशों से पुलिस मुख्यालय में प्रलेख एवं फोटो खण्ड से आरम्भ हुई। 1967 में रसायन, 1970 में जैविक एवं 1973 में भौतिक खण्ड प्रारम्भ हुआ।
2. वर्ष 1970 में प्रयोगशाला में प्रथम तकनीकी निदेशक की नियुक्ति की गई।
3. वर्ष 1974 में प्रयोगशाला भवन का राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप नेहरू नगर में पृथक प्रांगण में निर्माण करा प्रयोगशाला उसमें स्थानांतरित की गई।
4. वर्ष 1974 में अस्त्रक्षेप, 1983 में विष एवं 1984 में सीरम खण्डों में परीक्षण आरंभ किया गया।
5. वर्ष 1992 में नारकोटिक्स, आर्सन एण्ड एक्सप्लोसिव तथा लाइडिटेक्शन खण्डों के स्वीकृति आदेश जारी।
6. वर्ष 1995 में जोधपुर एवं उदयपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाऐं स्वीकृत एवं 1997 से इनमें परीक्षण कार्य आरंभ।
7. वर्ष 1998 में जोधपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास एवं निर्माण आरंभ।
8. वर्ष 2004 में डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग भवन का निर्माण प्रारंभ, कम्प्यूटर लैब एवं वन्यजीव फोरेंसिक के लिए भवन निर्माण, उदयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं शासन द्वारा 30 जिला चल इकाइयों की स्वीकृति।
9. वर्ष 2005 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भवन का निर्माण मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में कम्प्यूटर फोरेंसिक, ऑडियो वीडियो ऑथेंटिकेशन एवं साईबर फोरेंसिक तकनीक का कार्य प्रारंभ।
10. वर्ष 2006 में उदयपुर प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण, 16 जिला चल इकाइयों की स्थापना, डी.एन.ए. एवं साईबर लैब के लिए पृथक स्टाफ स्वीकृत।
11. वर्ष 2007 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आंशिक स्टाफ स्वीकृति पश्चात कार्य आरंभ, 14 जिला मोबाईल यूनिट्स की स्थापना, 7 चल इकाईयों के भवन का निर्माण प्रारंभ।
12. वर्ष 2008 में डी.एन.ए. पृथक्करण का कार्य आरंभ हुआ। बीकानेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला के लिए आंशिक स्टाफ स्वीकृत। 4 जिला मोबाईल यूनिट का स्टाफ स्वीकृत एवं वर्ष 2009 से कार्य आरंभ।
13. वर्ष 2010 में जयपुर में डी.एन.ए. परीक्षण हेतु अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित।
14. वर्ष 2011 में अजमेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रथम चरण के स्वीकृति आदेश जारी।
15. वर्ष 2013 में साईबर फोरेन्सिक खण्ड, जयपुर के सहायक निदेशक का पद स्वीकृत हुआ।
16. वर्ष 2013 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में रसायन खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
17. वर्ष 2014 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर में विष, जैविक एवं सीरम खण्ड तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में विष खण्ड ने कार्य करना प्रारंभ किया।
18. वर्ष 2015 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन के भूतल का निर्माण किया गया।
19. वर्ष 2015 में भरतपुर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, जैविक, सीरम तथा विष खण्ड प्रारम्भ एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जैविक खण्ड आरम्भ हुआ।
20. वर्ष 2016 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर तथा बीकानेर में क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भूतल भवन का निर्माण किया गया।
21. वर्ष 2017 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे स्थापित पॉलिग्राफ सेंटर में कार्य प्रारम्भ किया गया।
22. वर्ष 2017 में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का विस्तार कर अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान में कौशल विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया।

संगठनात्मक ढांचा (तकनीकी)

निदेशालय
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान

- **राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर**
  - रसायन खण्ड
  - प्रलेख खण्ड
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
  - फोटो खण्ड
  - अस्त्रक्षेप खण्ड
  - डी.एन.ए. खण्ड
  - नारकोटिक्स खण्ड
  - साईबर फोरेन्सिक खण्ड
  - आर्सन एवं एक्सप्लोसिव खण्ड
  - पॉलीग्राफ (लाई-डिटेक्शन) खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर**
  - रसायन खण्ड
  - प्रलेख खण्ड
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर**
  - रसायन खण्ड
  - प्रलेख खण्ड
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा**
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर**
  - रसायन खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर**
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
- **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बीकानेर**
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
  - अस्त्रक्षेप खण्ड
- **जिला मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट (कुल-34)**
  - जयपुर में दो मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट तथा अन्य सभी जिला मुख्यालय पर एक-एक जिला मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट

नोट :- जैविक खण्ड, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर का कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय का संगठनात्मक स्वरूप

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (दिनांक 30-11-2018 की स्थिति में)

राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय की मुख्य प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवम् जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स के लिए स्वीकृत, वर्तमान नफरी और रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

कैडरवाईज स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	तकनीकी अधिकारी	126	61	65
2.	तकनीकी कर्मचारी	290	149	141
	कुल योग	**416**	**210**	**206**

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

क्रम. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1	निदेशक	01	–	01(अतिरिक्त कार्यभार)
2	अतिरिक्त निदेशक	04	–	04
3	उप निदेशक	05	–	05
4	सहायक निदेशक	39	22	17
5	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	77	39	38
6	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	43	09	34
7	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	92	51	41
8	मैकेनिक	01	–	01
9	तकनीकी सहायक	01	–	01
10	प्रयोगशाला सहायक	76	35	41
11	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	77	54	23
	कुल योग	**416**	**210**	**206**

मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग

क्रम. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	लेखाधिकारी	01	–	01
2.	सहायक लेखाधिकारी	01	01	–
3.	कनिष्ठ लेखाकार	06	03	03
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01	–	01
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05	03	02
6.	निजी सहायक	01	01	–
7.	शीघ्रलिपिक	02	–	02
8.	वरिष्ठ सहायक	08	07	01
9.	कनिष्ठ सहायक	16	16	–
10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	30	20	10
11.	प्रयोगशाला कर्मचारी	09	02	07
12.	कारपेन्टर	01	–	01
13.	कानि0ड्राईवर	14	12	02
14.	चालक	03	–	03
	कुल योग	**98**	**65**	**33**

नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि

(दिनांक 30-11-2018 की स्थिति में)

(अ) वर्ष 2018-19 बजट आवंटन एवं व्यय (आयोजना भिन्न राशि रूपए लाखों में)

क्र.सं.	शीषर्क	आंवटन	व्यय	शेष राशि
1.	संवेतन (01)	2450.00	1397.87	1052.13
2.	यात्रा व्यय (03)	10.00	9.04	0.96
3.	चिकित्सा व्यय (04)	4.00	2.80	1.20
4.	कार्यालय व्यय (05)	65.00	41.84	23.16
5.	वाहनों का संधारण (पेट्रोल/डीजल व्यय) (07)	21.00	9.75	11.25
6.	वृत्तिक व विशिष्ट सेवाएं व्यय (08)	5.00	NIL	5.00
7.	किराया रॉयल्टी व्यय (09)	10.50	6.26	4.24
8.	मशीनरी एवं उपकरण व्यय (18)	223.00	72.92	150.08
9.	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय (21)	60.00	15.36	44.64
10.	वर्दी व्यय (37)	0.50	0.27	0.23
11.	संविदा व्यय (41)	40.00	22.48	17.52
12.	कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय (62)	20.75	NIL	20.75
	योग (आयोजना भिन्न)	2909.75	1578.59	1331.16

(ब) वर्ष 2018-19 आयोजना बजट मद (राशि रूपए लाखों में)

क्र. सं.	मद का नाम	आवंटित राशि	व्यय की राशि माह नवम्बर, 2018 तक	शेष
1.	बृहद निर्माण-अजमेर तथा बीकानेर, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगाशाला भवन का निर्माण (17)	814.93	596.23	218.70
2.	मरम्मत कार्य मुख्य प्रयोगशाला जयपुर (17)	92.44	Nil	92.44
3.	भवन विस्तार एवं मरम्मत क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर(17)	64.25	Nil	64.25
4.	भवन विस्तार एवं मरम्मत क्षेत्रीय प्रयोगशाला उदयपुर(17)	28.38	Nil	28.38
5.	मशीनीकरण, उपकरण, औजार इत्यादि (पुलिस आधुनिकीकरण) (18)	265.00	Nil	265.00
	योग (आयोजना)	1265.00	596.23	668.77

प्रकरण सांख्यिकी (Case Statistics)

Directorate of Forensic Science Laboratory Rajasthan
Case Statistics from 01-01-2018 to 30-11-2018

(i) Statement showing Year–wise position of Received, Disposal and Pending Cases

S. NO.	YEAR	PENDANCY AS ON 1ST JANUARY	RECEIVED CASES DURING THE YEAR	TOTAL N0. OF CASES	EXAMINED CASES DURING THE YEAR	PENDANCY AS ON 31ST December
1	2011	13835	24229	38064	23010	15054
2	2012	15054	25565	40619	26847	13772
3	2013	13772	25991	39763	26856	12907
4	2014	12907	27615	40522	27776	12746
5	2015	12746	31346	44092	33252	10840
6	2016	10840	34340	45180	38578	6602
7	2017	6455	37154	43609	37197	6412
8	2018 (upto 30-11-2018)	6412	36042 (upto 30-11-2018)	42454	31313 (upto 30-11-2018)	11141 (upto 30-11-2018)

(ii) Statement showing position of Received, Disposal and Pending Cases for SFSL and RFSLs.

S. NO.	Forensic Science Laboratories	PENDING ON 01-01-2018	RECEIVED CASES	TOTAL CASES	EXAMINED		PENDING ON 30-11-2018
					CASES	EXHIBITS	
1.	State FSL Jaipur	2693	16092	18785	13406	88952	5379
2.	Regional FSL Jodhpur	698	5809	6507	5335	25884	1172
3.	Regional FSL Udaipur	1157	5996	7153	5580	19964	1573
4.	Regional FSL Kota	390	1685	2075	1661	8907	414
5.	Regional FSL Bikaner	731	2117	2848	1565	9077	1283
6.	Regional FSL Ajmer	697	3114	3811	2854	7788	957
7.	Regional FSL Bharatpur	46	1229	1275	912	6066	363
	Grand Total :	**6412**	**36042**	**42454**	**31313**	**166638**	**11141**

(iii) Total number of Crime Scenes visited in the Rajasthan:- 1772

(iv) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of State Forensic Science Laboratory, Jaipur:-

S. NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2018	RECEIVED CASES in 2018	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 30-11-2018
					CASES	EXHIBITS	
1-	Documents Division	153	559	712	541	46627	171
2-	Chemistry Division	671	7906	8577	6099	7691	2478
3-	Arson & Explosive	25	169	194	178	344	16
4-	Narcotics Division	579	1569	2148	1277	3000	871
5-	Biology Division	0	1219	1219	1137	7059	82
6-	Physics Division	53	304	357	288	1777	69
7-	Polygraph Division	1	26	27	26	90	1
8-	Cyber Forensic Division	142	353	495	170	1066	325
9-	Ballistics Division	87	242	329	278	1788	51
10-	Toxicology Division	523	1780	2303	2110	13086	193
11-	Serology Division	86	1021	1107	994	4989	113
12-	DNA Division	373	944	1317	308	1435	1009
	Total	**2693**	**16092**	**18785**	**13406**	**88952**	**5379**
	Photo Section :	88	1200		1189	Neg. 38533 Print.15909	99

(v) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of Regional Forensic Science Laboratory Jodhpur, Udaipur, Kota, Bikaner, Ajmer & Bharatpur:-

S. NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2018	CASES RECEIVED in 2018	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 30-11-2018
					CASES	EXHIBITS	
REGIONAL FSL, JODHPUR							
1.	Documents Division	18	242	260	240	13400	20
2.	Chemistry Division	382	4679	5061	4201	6376	860
3	Toxicology Division	257	725	982	778	5322	204
4.	Serology Division	41	163	204	116	786	88
	Total	**698**	**5809**	**6507**	**5335**	**25884**	**1172**
REGIONAL FSL, UDAIPUR							
1.	Documents Division	2	89	91	90	4524	1
2.	Chemistry Division	354	3988	4342	3818	5842	524
3.	Toxicology Division	143	690	833	526	3144	307
4.	Serology Division	274	439	713	565	3441	148
5.	Biology Division	384	790	1174	581	3013	593
	Total	**1157**	**5996**	**7153**	**5580**	**19964**	**1573**
REGIONAL FSL, KOTA							
1	Biology Division	59	393	452	390	2928	62
2	Physics Division	21	70	91	83	225	8
3	Toxicology Division	89	716	805	619	3207	186
4	Serology Division	221	506	727	454	2547	158
	Total	**390**	**1685**	**2075**	**1661**	**8907**	**414**
REGIONAL FSL, BIKANER							
1	Biology Division	347	950	1297	591	3390	706
2	Physics Division	1	87	88	84	265	4
3	Ballistic Division	21	56	77	51	709	26
4	Toxicology Division	42	620	662	484	2984	178
5	Serology Division	320	404	724	355	1729	369
	Total	**731**	**2117**	2848	**1565**	**9077**	1283
REGIONAL FSL, AJMER							
1-	Chemistry Division (Liquor cases)	147	2179	2326	2070	3269	256
2.	Toxicology Division	478	796	1274	579	3365	695
3.	Serology Division	72	139	211	205	1154	6
	Total	**697**	**3114**	**3811**	**2854**	**7788**	**957**
REGIONAL FSL, BHARATPUR							
1	Biology Division	0	476	476	352	2594	124
2	Serology Division	17	320	337	269	1817	68
3	Physics Division	1	49	50	46	160	4
4	Toxicology Division	28	384	412	245	1495	167
	Total	**46**	**1229**	**1275**	**912**	**6066**	**363**

Grand Total (RFSL's)	**3719**	**19950**	**23669**	**17907**	**77686**	**5762**

एफ.एस.एल. में परीक्षण किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

साईबर फॉरेन्सिक प्रकरण :-

1. बहुचर्चित हत्या प्रकरण का विडियो बनवाने में प्रयुक्त मोबाईल फोन से साक्ष्य की रिकवरी:-

थाना- राजनगर, राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या-339/17 की धारा- 302, 201, 153क, 153ख, 295क, 298, 505 (1) (सी), 505 (2), 120बी भा.द.स. व 84सी आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत बहुचर्चित हत्या का विडियो बनवाने सम्बन्धित प्रकरण में हत्या के आरोपी से जब्त मोबाईल फोन से हत्या की घटना का विडियों बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने से संबंधित विडियो एवं समाज में धार्मिक भावनाओं को भड़काने संबन्धित रिकॉर्ड की गई विडियो के मेटा डेटा का विश्लेषण कर प्रकरण के अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई।

2. डिजिटल (बिट् कोईन) ट्रांजेक्शन प्रकरण में साक्ष्य की रिकवरी:-

थाना- महामंदिर, जिला- जोधपुर (पूर्व) द्वारा प्रकरण संख्या- 181/17 की धारा- 420 भा.द.स. व 66सी, 66डी आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत डिजिटल (बिट् कोईन) ट्रांजेक्शन प्रकरण में आरोपी से जब्त लेपटोप से अभियुक्त की ई-मेल आई.डी.एक्सेस करने एवं बिटकॉईन चेन अकाउन्ट से संबंधित यू.आर.एल. एक्सेस करने संबंधित साक्ष्य रिट्राईव कर प्रकरण के अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई।

3. बहुचर्चित हनीट्रेप एवं हत्या प्रकरण में मोबाईल से मैसेज की रिकवरी:-

थाना- झोटवाड़ा, जिला- जयपुर (पश्चिम) द्वारा प्रकरण संख्या- 253/18 की धारा- 364ए, 302, 201, 342, 120बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत बहुचर्चित हनीट्रेप एवं हत्या प्रकरण में आरोपी महिला व उसके साथी से जब्त मोबाईल फोन से आपस में वाट्सऐप चेट एवं एस.एम.एस मेसेजों तथा मृतक से आरोपी महिला के वाट्सऐप चेट रिट्राईव कर प्रकरण के अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई।

4. बहुचर्चित हत्या प्रकरण से संबन्धित विडियों के साक्ष्य की रिकवरी:-

थाना-सोजत रोड़, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 04/17 की धारा-364, 342, 323, 120 बी, 302, 201 भा.द.स. के अन्तर्गत बहुचर्चित हत्या प्रकरण में मुलजिमों से जब्त मोबाईल फोन से मृतक के साथ मारपीट करते हुऐ मुलजिमों द्वारा स्वयं के मोबाईलों से बनाये गये विडियों को डिलिट करनें के पश्चात् उक्त मोबाईलों से विडियों को रिट्राईव कर अपराधियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा प्रकरण को सही दिशा प्रदान की।

5. बहुचर्चित फंदे से लटकने सम्बन्धित प्रकरण में मोबाईल से महत्वपूर्ण डाटा रिकवरी :-

थाना-ब्रह्मपुरी., जयपुर (उत्तर) द्वारा धारा 174 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत बहुचर्चित नाहरगढ किले की बुर्ज पर फंदे से लटकने सम्बन्धित प्रकरण में मृतक के मोबाईल फोन से डाटा, सेल्फी संबंधित पिक्चर फाईल एवं मेटाडाटा तथा अन्य इन्टरनेट आईटमों से संबंधित साक्ष्य रिकवरी कर प्रकरण से संबंधित अनुसंधान मे महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गयी।

6. हाई प्रोफाईल बहुचर्चित मॉब लिंचिंग प्रकरण में जब्त मोबाईल फोन से डेटा रिकवरी :-

थाना-रामगढ, जिला - अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 321/18 द्वारा-302, 323, 341, 143, 34 भा.द.सा. के अन्तर्गत हाई प्रोफाईल बहुचर्चित मॉब लिंचिंग प्रकरण में अभियुक्तों से जब्त मोबाईल फोन द्वारा बहुचर्चित एसएमएस तथा अन्य मॉब लिंचिग प्रकरण में डाटा रिट्राइव कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा दी गई।

7. पेपर लीक प्रकरण में जब्त मोबाईल फोन से वॉट्सऐप से महत्वपूर्ण डेटा रिकवरी :-

थाना-बांदीकुई, जिला- दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 114/17 धारा-420, 66बी, 4, 6 राजस्थान अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के अन्तर्गत पेपर लीक प्रकरण में आरोपियों से जब्त मोबाईल फोन द्वारा आई.टी.आई परीक्षा में प्रश्नपत्र के आदान-प्रदान से संबंधित वॉट्सऐप मैसेज एवं प्रश्नपत्र को रिकवर कर अनुसंधान को दिशा प्रदान की गई।

8. अन्तर्राज्यीय ए श्रेणी के गेंगस्टर अपराधी के एन्काउन्टर प्रकरण में मोबाईल फोन से डाटा रिकवरी:-

थाना- हिन्दूमलकोट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 26/18 की धारा- 307, 332, 353, 212, 216, 216ए, 186, 225, 120बी भा.द.स. व 3/25, 3/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय ए श्रेणी के गेंगस्टर अपराधी के एन्काउन्टर प्रकरण में नाभा जेल से फरार कई राज्यों के ईनामी गेंगस्टर अपराधी एवं उसके साथियों के पंजाब

पुलिस द्वारा किये गये एन्काउंटर पश्चात मृत संदिग्धों से जब्त मोबाईल फोन, डोंगल, सिम व मेमोरी कार्ड से महत्वपूर्ण डाटा रिट्राईव कर प्रकरण के अनुसंधान में सहायता प्रदान की गई।

जैविक व डी.एन.ए. प्रकरण

1 नाबालिक बालक के साथ दुष्कर्म व हत्या प्रकरण में अभियुक्त की पहचान:-

पुलिस थाना कोतवाली जिला जालौर के अन्तर्गत मु. न. 123/18 धारा 365, 377, 302 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट के प्रकरण में मृतक के कमीज, एनल स्वाब, घटनास्थल से ली गई मिट्‌टी व मुल्जिम के अन्डरवीयर पर मानव वीर्य तथा मिट्‌टी में मानव बाल की उपस्थिति व डीएनए जाँच से प्रकरण को अनुसंधान में सही दिशा प्रदान की गई।

2. तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म प्रकरण में अभियुक्त की पहचान :-

पुलिस थाना मलसीसर जिला झुंझुंनू के अन्तर्गत मु. न. 85/18 धारा 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट के प्रकरण में पीडिता तथा मुल्जिम के कपडों पर मानव वीर्य की उपस्थिति तथा डीएनए जाँच से प्रकरण को अनुसंधान में सही दिशा प्रदान की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उम्र कैद की सजा से दण्डित किया गया है।

3. सात माह की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म प्रकरण में अभियुक्त की पहचान :-

पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर के अन्तर्गत मु. न. 161/18 धारा 363, 366ए, 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट के प्रकरण में पीड़िता तथा मुल्जिम के कपडों तथा घटनास्थल से जप्त कट्‌टे पर मानव वीर्य की उपस्थिति तथा डीएनए जाँच से प्रकरण को अनुसंधान में सही दिशा प्रदान की गई।

4. पाँच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म प्रकरण :-

पुलिस थाना घन्टाली जिला प्रतापगढ के अन्तर्गत मु. न. 81/17 के प्रकरण में मानव वीर्य परीक्षण कर प्रकरण को अनुसंधान में सही दिशा प्रदान की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उम्र कैद की सजा से दण्डित किया गया है।

5. हत्या की बनावटी कहानी डी. एन. ए. टेस्ट से उजागार :-

भरतपुर जिले के हलेना थाने में एक महिला की हत्या का मामला महिला के परिवारजनों के द्वारा दर्ज कराया गया। प्रकरण में महिला की उसके ससुराल वालों द्वारा हत्या कर बॉडी को गायब करने संबंधी मामला बताया। घटनास्थल पर गुढड़ी पर उपस्थित रक्त के आधार पर हत्या संबंधी अनुसंधान किया गया, जिससे गुढड़ी पर उपस्थित रक्त के डी.एन.ए. का मिलान मृतका के माता-पिता के रक्त से किया गया। डी.एन.ए. टेस्ट से गुढड़ी पर किसी पुरूष का डी.एन.ए. प्रोफाईल पाया गया। इससे अनुसंधान के दौरान स्पष्ट हुआ कि मृतका अपने किसी प्रेमी के साथ हत्या की झूठी साजिश रचकर भाग गई थी। तथा महिला के प्रेमी द्वारा महिला के ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ रक्त किसी ब्लड बैंक से लाकर गुढड़ी पर डाला गया था।

6. नरभक्षी तेन्दुए के पेट में उपस्थित-अपचित भोजन के अवशेष से व्यक्ति की पहचान:-

सरिस्का अलवर में एक नरभक्षी तेन्दुआ एक व्यक्ति को खाकर गुफा में चला गया। गुस्साये ग्रामीणों के द्वारा गुफा पर आग लगा दी गई, जिससे कि तेन्दुए की गुफा में ही मौत हो गयी। पोस्टमार्टम के दौरान तेन्दुए के पेट में उपस्थित भोजन के अवशेष एवं तेन्दुए द्वारा खाये गये व्यक्ति के अवशेष डी.एन.ए. परीक्षण हेतु भेजे गये। डी.एन.ए. परीक्षण में तेन्दुए के पेट में उपस्थित भोजन के अवशेष का डी.एन.ए. एवं तेन्दुए द्वारा खाये गये व्यक्ति का डी.एन.ए. एक समान पाया गया।

7. बाल के डी.एन.ए. से हत्या का खुलासा :-

बारां जिले में छीपा बड़ौद थाना अन्तर्गत एक व्यक्ति का शव घटनास्थल पर पाया गया। वहां के लोगों द्वारा पुलिस को दिये गये बयान में घटना आत्महत्या प्रतीत हो रही थी। पुलिस द्वारा अनुसंधान में एवं जिला मोबाईल यूनिट द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर शव पर एक बाल मिला। उस बाल को संभावित संदिग्ध 3 कन्ट्रोल रक्त सेम्पल के साथ डी.एन.ए. परीक्षण हेतु भेजा गया। बाल का डी.एन.ए. उस संदिग्ध व्यक्ति के डी.एन.ए. से मिलान होने के कारण एवं पुलिस द्वारा गहनता से जाँच करने पर संदिग्ध द्वारा हत्या करना स्वीकार करने से डी. एन.ए टेस्ट से आत्महत्या की दिशा वाला प्रकरण हत्या का साबित हुआ।

8. लापता बच्चे के घटनास्थल पर मिले बाल एवं पत्थरों पर लगे रक्त के डी.एन.ए. से पहचान:-

करौली जिले के कोतवाली थाना अन्तर्गत एक 10 वर्षीय बालक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल पर मिले बाल एवं पत्थरों पर लगे रक्त के डी.एन.ए का मिलान गुमशुदा बालक के माता-पिता के

डी.एन.ए. से किया गया जिसमें गुमशुदा बालक का डी.एन.ए होना पाया गया। दौराने अनुसंधान उक्त साक्ष्यों के आधार पर गुमशुदा बालक का अपहरण कर हत्या करना पाया गया। डी.एन.ए. परीक्षण द्वारा इस प्रकार अपहरण एवं हत्या का पर्दा फाश हुआ।

आर्सन एण्ड एक्सप्लोसिव प्रकरण

1. शिशु की संदिग्घ मृत्यु के कारण का खुलासा :-

मर्ग संख्या 21/17, थाना कालवाड़, जयपुर (प.) के अन्तर्गत निजी अस्पताल की शिशु इकाई के वार्मर मशीन में नवजात शिशु की आग से जलने के कारण मृत्यु होने के प्रकरण में कम्बस्टिबल सबस्टेन्स की उपस्थिति का पता लगाने हेतु प्राप्त प्रादर्श बर्न्ट स्किन क्युटिकल्स का जी.सी. गैस क्रोमेटोग्राफ एनालाइसिस तथा जी.सी. एनालाइसिस से ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति को नकार कर स्किन ओंईटमेन्ट की उपस्थिति की रिपोर्ट दी जो कि अनुसंधान में महत्वपूर्ण साबित हुई।

2 हत्या प्रकरण में स्टोव में केरोसीन व डीजल की पुष्टि :-

मु.नं. 51/18, थाना ब्यावर सदर, अजमेर के अन्तर्गत महिला को जलाकर हत्या किये जाने के प्रकरण में लोहे के स्टोव में जो द्रव पदार्थ प्राप्त हुआ उसका जी.सी. एनालाइसिस व डिस्टिलेशन कर सिद्ध किया गया कि स्टोव में भरा द्रव डीजल व केरोसिन का मिश्रण था। साथ की अन्य तीन प्रादर्शो का भी जी.सी. एनालाइसिस कर प्राप्त क्रोमेटोग्राफ का विश्लेषण किये जाने पर केरोसिन व डीजल के मिक्स फ्रेक्शन्स होना पाया गया। इस प्रकार घटना में केरोसिन व डीजल के मिश्रण के प्रयोग को सिद्ध किया गया।

नारकोटिक्स प्रकरण

रसायनिक विश्लेषण से नशीले पदार्थ की पुष्टि:-

मुकदमा नं. 397/18ए धारा 8/21 NDPS Act, थाना सदर निम्बाहेड़ा, चितौड़गढ़ के अन्तर्गत प्रकरण में संदिग्ध के पास तीन अलग-अलग पदार्थ जब्त किये गये, जिन्हें क्रमशः स्मैक, स्मैक में मिलाने वाला टाँका व नशीला पदार्थ बताया गया। उक्त प्रादर्शो का माइक्रोकेमिकल व इन्स्ट्रूमेन्टल एनालाइसिस का विश्लेषण करने पर पाया गया कि स्मैक व स्मैक में मिलाने का टाँका कहकर आये पदार्थ में स्मैक व टाँका का मिश्रण पाया गया। इसी प्रकार तीसरा प्रादर्श जो कि नशीला पदार्थ कहकर भेजा गया में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की उपस्थिति नहीं पाई गई।

विष खाण्ड प्रकरण

1. पशुधन को जहर देकर मारने का प्रकरण:-

अभियोग सं. 21/18 धारा 284 IPC पुलिस थाना- पनियाला जिला- जयपुर (ग्रामीण) से प्राप्त प्रकरण में परिवादियों द्वारा पेम्डी से जहरीला पानी पीने से भेडों की मौत का आरोप लगाया गया था। प्रकरण मे पुलिस द्वारा जमा किये गये विसरा प्रादर्शो में परीक्षण करने पर जहर की अनुपस्थिति की रिपोर्ट की गई जिससे अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की गई।

2. दहेज हत्या का प्रकरण:-

मर्ग सं. 12/18 धारा 174 CrPC पुलिस थाना- रामगढ पचवारा जिला- दौसा से प्राप्त प्रकरण में मृतक को कुछ खिला पिला कर या मानसिक प्रताडना से मृत्यु होने का सन्देह जाहिर किया गया था। प्रकरण में विसरा परीक्षण में एल्युमिनियम फॉस्फाइड जहर की उपस्थिति देने के पश्चात अनुसंधान अधिकारी को उल्लेखानिय सहयोग मिला तथा मृतक को न्याय दिलाने में सहयोग मिला।

3. दहेज हत्या प्रकरण में जहर की पुष्टि:-

मुकदमा सं. 138/18 पुलिस थाना- झांकरोटा जिला-जयपुर (पश्चिम) धारा 498, 306 आई.पी.सी. के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में पीडिता के पीहर पक्ष द्वारा ससुराल पक्ष पर अपनी पुत्री को दहेज हेतु प्रताडित कर जहर देकर मारने का आरोप लगाया गया था। प्रकरण में पुलिस द्वारा जमा किये गये विसरा एवं अन्य प्रादर्शो में परीक्षण करने पर जहर की उपस्थिति रिर्पोट की गई जिससे अनुसंधान व प्रकरण को उल्लेखनीय सहयोग मिला।

4. अलवर मोबलिन्चिंग प्रकरण:-

अभियोग सं. 321/18 धारा 302, 323, 341, 34 एवं 143 IPC पुलिस थाना- रामगढ जिला- अलवर मृतक का प्रकरण मॉब लिचिंग जैसे अतिसंवेदनशील मुददे से संबंधित था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अल्प समयावधि में परीक्षण कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित की गई।

5. गैंगरेप के बाद जहर देने का प्रकरण :-

अभियोग सं. 148/18 धारा 363, 366ए, 342, 376डी, 302 IPC 5(G)/6 Pocso Act. पुलिस थाना- नौंगांवा जिला- अलवर का प्रकरण नाबालिग मृतका के अपहरण तथा गैंगरेप से संबंधित था जिसमें मृत्यु से पूर्व मृतका द्वारा जबरदस्ती जहर दिये जानेका उल्लेख किया था। उक्त प्रकरण के विसरा परीक्षण में एल्युमिनियम

फास्फाइड का उपस्थिति ने मृतका के बयानो को पुख्ता कर मृतका को न्याय दिलाने में सहयोग किया।

6. झालावाड़ हत्या प्रकरण:-

अभियोग सं. 69/18 धारा 302, 364, 201, 120बी IPC 3(2)(5) SC/ST Act. पुलिस थाना- सदर जिला-झालावाड प्रकरण हत्या जैसे जघन्य अपराध से संबंधित था जिसमें विसरा परीक्षण, रासायनिक परीक्षण एवं उपकरणीय परीक्षण द्वारा एक निश्चेतन ड्रग केटामाईन की उपस्थिति बताई गयी जिससे पुलिस अनुसंधान में उल्लेखनीय सहयोग मिला तथा उक्त परीक्षण रिपोर्ट ने गायब कड़ी को जोड़ने का कार्य किया।

7. पत्नी द्वारा पति को जहर देकर मारने का प्रकरण:-

एफ.आई.आर. नं. 4/18 धारा 174 भा.द.स. पुलिस थाना- मण्डावा, जिला-झुन्झुनु के अन्तर्गत प्राप्त संदिग्ध प्रकरण में विसरा परीक्षण में एल्युमीनियम फॉस्फाईड विष की उपस्थिति देने के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी को आगामी अनुसंधान में यह स्थापित करने में सहयता मिली कि एक पत्नी द्वारा ही जानबूझकर हत्या के इराढे से अपने पति को उक्त विष दिया था जिससे संदिग्ध मृत्यु की गुत्थी सुलझाई गयी तथा अनुसंधान को उल्लेखनीय सहयोग मिला।

8. मारपीट प्रकरण में जहर की पुष्टि :-

एफ.आई.आर. नं. 372/18 धारा 143, 302 आई.पी.सी. पुलिस थाना-कोतवाली, जिला-अलवर के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में विसरा परीक्षण में एल्युमीनियम फॉस्फाईड विष की उपस्थिति से सुनिश्चित हुआ कि पीड़िता की मृत्यु मारपीट द्वारा नहीं हुई थी। इस प्रकार अनुसंधान को उल्लेखनीय सहयोग मिला।

अस्त्रक्षेप प्रकरण

1. तमिलनाडु पुलिस के पुलिस निरीक्षक की मृत्यु का प्रकरण:-

प्रकरण संख्या 406 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 302 आई.पी.सी. थाना जैतारण जिला पाली के अंतर्गत प्राप्त प्रकरण में तमिलनाडु पुलिस के पुलिस निरीक्षक की जैतारण थानांतर्गत एक अपराधी को गिरफ्तार करने के दौरान फायरिंग में मृत्यु हो गयी थी। इस बहुचर्चित प्रकरण में एफ.एस.एल. टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल से बरामद कारतूस खोखा,घटना में प्रयुक्त हथियार 9 मि0मी0 पिस्तौल मृतक के कपडे तथा घाव के स्थान से लिये गये स्वाब जाँच हेतु प्रयोगशाला में प्राप्त हुए जिनकी अस्त्रक्षेप जाँच में मृतक पुलिस निरीक्षक को फायरिंग में लगी गोली,साथी पुलिस निरीक्षक की 9 मि0मी0 पिस्तौल से चलना निश्चित किया गया।

2. फार्म हाउस हत्याकांड:-

प्रकरण संख्या 93 धारा 302,379, आई.पी.सी थाना सदर टोंक जिला टोंक में प्राप्त प्रकरण में फार्म हाउस में हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में एफ.एस.एल. टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर महत्वपुर्ण साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध करवाये गये तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा भिजवाये गये छर्रो,हथियार व जी.एस.आर. स्वाब का अस्त्रक्षेप परिक्षण कर उपरोक्त मर्डर मृतक के दामाद की निशानदेही से जब्त हथियार द्वारा ही किया जाना पाया गया जिससे प्रकरण के अनुसंधान को महत्वपूर्ण दिशा दी गई तथा संदिग्ध हथियार की पुष्टि की गई। इसमें विशेष बात यह थी इस प्रकरण में स्टेन्डर्ड 12 बोर कारतूसों के छर्रो को निकालकर टोपीदार बंदूक में प्रयोग किया गया तथा छर्रा आदि देखने से यह हत्या 12 बोर के हथियार से प्रतीत हो रही थी परन्तु विशेषज्ञों की जॉच में यह हत्या जब्त टोपीदार बंदूक से होना पाया गया।

3. जोधपुर व्यवसायी फायरिंग प्रकरण :-

प्रकरण संख्या 158 धारा 307,120 आई.पी.सी व 3/25 थाना शास्त्रीनगर जिला जोधपुर (पश्चिम) के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में जोधपुर के एक व्यवसायी पर व्यक्तियों द्वारा सरेराह फायरिंग की गई । इस मामले में गिरफ्तार मुलजिमों से प्राप्त हथियारो एवं घटनास्थल पर मिले कारतूस, कारतूस-खोखा,बुलेट इत्यदि की अस्त्रक्षेप जॉच में स्पष्ट हुआ कि व्यवसायी पर फायरिंग प्रकरण में जब्त हथियारो द्वारा ही की गई। इससे प्रकरण में अनुसधान को एक महत्वपूर्ण दिशा दी गई।

4. गाडी पर फायरिंग व लूट प्रकरण :-

प्रकरण संख्या 145/18, धारा-395, 307,120बी भादस, 3/25, 3/27 आर्म्स एक्ट, थाना कठुमर, जिला-अलवर प्रकरण ओएलएक्स वेबसाइट पर जे0सी0बी0 मशीन का विज्ञापन देखकर जे0सी0बी0 मशीन खरीदने हेतु जाने के दौरान रास्ते में गाडी पर फायर करके गाडी में रखे नगद 14 लाख रू0 लूटने की घटना से सम्बन्धित था। उक्त प्रकरण में परीक्षण हेतु प्राप्त प्रादर्शो-गाडी बुलेट, खाली खोखा व हथियार के सम्बंध में फायर आर्म्स सम्बन्धी महत्वपूर्ण राय दी गयी व गाडी पर

हुई फायरिंग की दूरी व दिशा से भी पुलिस को अवगत करवाया गया जिससे अनुसंधान को गति मिल सकी।

5. जुगाड हथियार से हत्या के प्रयास का प्रकरण:-

प्रकरण संख्या 71/18, धारा-448, 307 भादस, 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जैतारण, जिला-पाली प्रकरण में प्राप्त एक हथियार देशी टोपीदार बंदूक एफएसएल में प्राप्त हुई जो पूरी तरह से रबड ट्यूब के टूकडों से बंधी हुई थी एवं उस टोपीदार बंदूक के अधिकांश कलपूर्जे गायब थे। हथियार के अस्त्रक्षेप परीक्षण से ज्ञात हुआ कि इस टोपीदार बंदूक को बिना कलपूर्जो के भी जुगाड तकनीक से चलाया जा सकता है एवं इस हथियार को फायरिंग में भी प्रयोग किया गया है। इस जॉच से अनुसंधान को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई।

घटनास्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

1. हत्या प्रकरण :-

मुकदमा नम्बर 34/18 धारा 302, 201 आई.पी. सी., पुलिस थाना-शिप्रापथ, जिला-जयपुर (दक्षिण) में एक युवक की अधजली अवस्था में लाश पाई गई। मोबाईल फोरेंसिक यूनिट जयपुर (शहर) के निरीक्षण में पाया गया कि लोहे के पाइप द्वारा सिर पर वार कर युवक हत्या की गई है एवं प्लास्टिक की शीशी में ज्वलनशील पदार्थ पाया गया जिससे उसे जलाया गया। घटनास्थल पर पाए गये निरन्तर रक्त, फोरेन्सिक विज्ञान के तथ्यों व सिद्धान्त अनुसार युवक की हत्या इस स्थान पर होना पाया गया।

2. मृत्यु के कारण का खुलासा :-

मुकदमा नम्बर 111/18 धारा 304 ए. आई.पी.सी., पुलिस थाना मुरलीपुरा, जिला-जयपुर (पश्चिम) प्रकरण में सीवर लाइन के हॉल में सफाई करते वक्त दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई एवं एक व्यक्ति घायल हुआ। जिससे प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया गया। मो0 फो0 यू0 जयपुर (शहर) ने निरीक्षण में पाया गया कि मौके पर पाये गये एक टैंकर का उपयोग सामान्य रूप से सेफ्टी टैंक खाली एवं भरने के उपयोग में लिया जाता रहा है। घटनास्थल पर टैंकर, फैला हुआ वेस्ट मेटेरियल, रबड़ का दस्ताना, रस्सी, बांस, इत्यादि एवं फोरेन्सिक विज्ञान के तथ्यों व सिद्धान्त अनुसार यह पाया कि संबंधित मृतक एवं घायल व्यक्ति अवैध रूप से कूकर खेड़ा अनाज मण्डी में बने सीवर लाइन के होल में टैंकर से वेस्ट मेटेरियल खाली करते थे। निरन्तर खाली करने की वजह से सीवर लाइन के होल चॉक/जाम हो गए जिन्हें गुपचुप तरीके से चालू करने बाबत् सीवर होल के अन्दर घुसने के दौरान अतिरिक्त दवाब से मेटेरियल तीव्र गति से बाहर आया जिससे उनकी मृत्यु हुई। इस तरह प्रशासन पर लगे आरोप को नकारा गया।

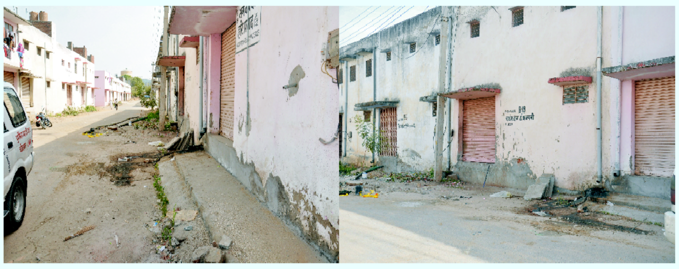

3. आत्महत्या प्रकरण :-

मुकदमा नम्बर 215/18 धारा 304 बी. आई.पी. सी, पुलिस थाना-ब्रह्मपुरी, जिला-जयपुर (उत्तर) मकान नं. 408 कैलाशपुरी में रहने वाली एक 27 वर्ष की महिला की पंखे से फंदे मे लटककर मृत्यु संबंधित घटना घटित हुई। मृतका के परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि महिला की उसके पति व ससुराल पक्ष द्वारा हत्या की गई है। मो0 फो0 यू0 जयपुर (शहर) के विशेषज्ञों द्वारा घटनास्थल पर कमरे के प्रवेश द्वार पर धार दार हथियार के वार के निशान व दरवाजे के अन्दर की आंगल कुण्डी में लगे बोल्ट ढीले अवस्था में पाये गये जिसे बाहर से बलपूर्वक खोला जाना पाया गया। कमरे में लगा पंखा असामान्य अवस्था में पाया गया तथा पंखुड़ियों से डस्ट हटी हुई पायी गयी। फंदे के उपयोग में ली गयी साड़ी में लम्बे बाल पाये गये। साड़ी में डस्ट व खिंचाव के निशान पाये गये। फोरेन्सिक विज्ञान के तथ्यों व सिद्धान्त अनुसार युवती की हत्या ना होकर आत्महत्या होना पाया गया।

4. हत्या का खुलासा :-

मर्ग नं. 23/18 एवं मुकदमा नम्बर 479/18 धारा 109, 302 आई.पी.सी, पुलिस थाना-मुहाना, अन्तर्गत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि मृतक की घर के बाहर चारपाई पर सोते हुए रात्रि में सिर पर चोट लगने अथवा छत से गिरने से मृत्यु हुई। मो0 फो0 यू0 जयपुर (शहर) ने घटनास्थल पर पाया कि मकान के बाहर कच्ची रोड पर मिट्‌टी कंकरीट में निरंतरता में मानव रक्त के छींटे है। मकान के साइड में पलंग, तकिया, चद्दर, स्कॉर्फ में मानव रक्त के छीटे पाये गये। मकान के अन्दर हॉल पिल्लर पर मानव रक्त के छींटे पाये गये। फोरेन्सिक विज्ञान के तथ्यो व सिद्धान्त अनुसार यह पाया कि मृतक की उसके सम्बन्धी द्वारा बाहर सोते हुए ईट से वार कर हत्या की गई।

5. आत्महत्या प्रकरण :-

मुकदमा नम्बर 04/18 धारा 306,201,34 आई.पी. सी, पुलिस थाना शिवदासपुरा, अन्तर्गत प्रकरण में एक अधेड उम्र के व्यक्ति के शव का मो0 फो0 यू0 जयपुर (ग्रामीण) ने दौरान निरीक्षण फोरेन्सिक विज्ञान के तथ्यो व सिद्धान्त अनुसार शव/मृतक की गर्दन पर लम्ववत लिगेचर मार्क पाये जाने से ज्ञात हुआ था कि मृतक ने कही पर आत्महत्या की है लेकिन शव को मूल घटनास्थल से ट्रान्सपोर्ट कर डाला गया है। ज्ञात होने पर मृतक के निवास पर चाकू पर धागे व सीलिंग फैन पर से गर्द/धूल भी हटी हुई पाई गई जिससे हत्या होने की घटना, आत्महत्या होने की घटना सिद्ध हुई।

6. मूर्ति खण्डित घटना के कारण का खुलासा :-

मुकदमा नम्बर 101/18 धारा 295 आई.पी.सी, पुलिस थान चंदवाजी, अन्तर्गत प्रकरण में गांव रूडल के मन्दिर में स्थित शिवलिंग जलहरी कार्तिकेय व गणेश जी की मूर्तियों को संदिग्ध खंडित होने की घटना में मो0फो0यू0 जयपुर (ग्रामीण) के वैज्ञानिकों ने दौरान निरीक्षण मूर्तियों पर टूल मार्क्स नही पाये। जलहरी में शिवलिंग अलग से एडहेसिव मेटेरियल व धागों से फिक्स कर स्थापित/प्राण प्रतिष्ठा की गयी थी। वक्त पूजा, स्नान व बन्दर/बिल्ली जैसे जानवरों द्वारा प्रसादी लिये जाते वक्त शिवलिंग जलहरी में एडहेसिव ग्रिप (पकड़) में पानी जाने से कमजोर होने व हिलने पर कार्तिकेय एवं गणेश मूर्ति के मध्य में गिरकर स्लिप होने से जलहरी,कार्तिकेय व गणेश मूर्ति एक-एक स्थान से खंडित हो गई, जिससे जानबूझकर तोड़े जाने की घटना की जगह प्राकृतिक घटना होना सिद्ध हुई।

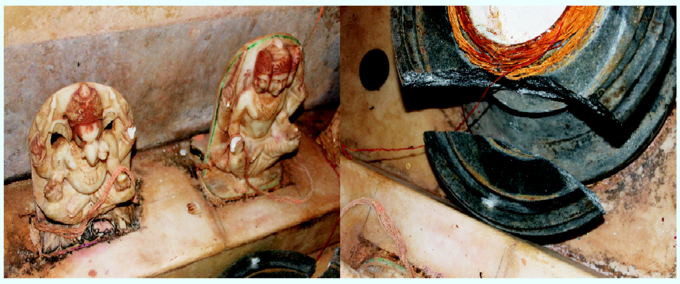

7. संदिग्ध हत्या प्रकरण में डी0एन0ए0 परीक्षण बाबत प्रादर्श का कलैक्शन :-

मुकदमा नम्बर 507/18 धारा 302,201,109,120ठ आई.पी.सी, पुलिस थाना-फागी प्रकरण संदिग्ध माता-पिता द्वारा (ऑनर किलिंग) जिसमें 15 वर्षीय बालिका को बेहोश/हत्या कर जानवरों के बाड़े/नोहरा में जलाकर साक्ष्य नष्ट किये जाने की घटना से सम्बंधित था। घटनास्थल का मोबाईल फोरेंसिक यूनिट जयपुर (ग्रामीण) द्वारा निरीक्षण दौरान घटनास्थल को साफ सफाई बाद-जले लकड़ी के कोयले, हडियों के टुकडे, ज्वलनशील पदार्थ की गंधा, वसा जैसा पदार्थ युक्त मिटटी

पर निशान तथा अपर्याप्त डी.एन.ए. सेम्पल हेतु गांव के श्मशान में घटनास्थल से हटाई गई राख, हडिडयो को दी गई समाधी को नियमानुसार आदेश उपरान्त खुदाई में मृतका का अधजला-लोथडा निकला जिससे डी.एन.ए. पहचान व मौत के कारणों की जाँच हेतु सेम्पल मेडीकल बोर्ड द्वारा लिये गये।

8. हत्या की जगह का खुलासा :-

मुकदमा नम्बर 3/18 धारा 174 सी.आर.पी.सी, पुलिस थाना चौमू, अन्तर्गत प्रकरण में खेत में एक युवक की लाश का मिलने के प्रकरण में मो0फो0यू0 जयपुर (ग्रामीण) द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण में घटना स्थल पर इलेक्ट्रिक सप्लाई का होना नही पाया गया एवं शव निरीक्षण में इलेक्ट्रिक शॉक के भौतिक लक्षणों से मृतक के पहने कपड़ों के अन्दर व दोनों पैरो पर वैल्डिंग रॉड जैसे जलने के निशान व कार्बन सूट पाया गया, इससे मृतक का ट्रान्सपोर्ट कर शव खेत में लाया जाना पाया गया।

9. जलने/जलाया जाने का संदिग्ध प्रकरण :-

मुकदमा नम्बर 83/17 धारा498I,302,304ठ आई.पी.सी, पुलिस थाना चंदवाजी, अन्तर्गत प्रकरण में एक 23 वर्षीय औरत व उसकी 3 वर्षीय पुत्री की कमरे में संदिग्ध जलकर/जलाया जाकर मृत्यु होने की घटना में मो0फो0यू0 जयपुर (ग्रामीण) द्वारा वक्त घटना स्थल निरीक्षण दौरान-कमरे के दो पलडे वाले दरवाजे की बाहर लगी आगल पर गेट बन्द अथवा आगल लॉक होने की स्थिति में आगल पर कार्बन सूट पाया गया। अन्दर दोनों पलडों में सांकल, कुन्दा पर कार्बन सूट,सांकल अनलॉक होने की स्थिति में पाई गई कमरे में कार्बन सूट ज्वलनशील पदार्थ की गंध, माचिस, गैस सिलेण्डर व चूल्हा बाहर थे, जिन पर कार्बन सूट नही पाया। निम्स हॉस्पिटल में शवों का निरीक्षण किया जिससे ड्राई फ्लेम जैसे लक्षण पाये गये। वक्त घटना दौरान दरवाजा बाहर से आगद/कुन्दी बन्द अवस्था में पाया जाना बताकर अनुसंधान में सहयोग किया।

10. हत्या की अन्य जगह का खुलासा :-

प्रकरण संख्या: 77/18, धारा- 232, 341, 342, 365, 394, 302 IPC पुलिस थाना- क्रिश्चियन गंज, जिला- अजमेर के अंतर्गत प्रकरण के क्रम में एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित घटनास्थल का निरीक्षण मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट, अजमेर द्वारा किया गया। घटनास्थल पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट द्वारा घटना किसी अन्य स्थान पर घटित होने की सम्भावना व्यक्त की गई। घटना के आठ दिन बाद अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटना में प्रयुक्त संदिग्ध मारूती ओमनी वैन को जप्त किया गया। मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट द्वारा वाहन का निरीक्षण करने पर वैन के अंदर मिली स्टेपनी के रिम पर पाए गये संदिग्ध धब्बों पर एवं वैन की पिछली सीट के नीचे फर्श, बैटरी बॉक्स के आस-पास रासायनिक परीक्षण कर रक्त होना बताया गया, जिससे प्रकरण के खुलासे में सहायता मिली।

11. मकान में तीन शव मिलने का प्रकरण :-

मुकदमा नं. 215/18 धारा147, 148, 149, 460 आई.पी.सी. थाना-बसेडी जिला- धौलपुर से संबंधित

घटनास्थल निरीक्षण में एक मकान में तीन शव मिलने की सूचना दी गई। जिसमें घर में अंदर की ओर बना एक कमरा था। कमरे में दरवाजे के पास बाई ओर तीन शव खून से लथपथ अवस्था में मिले। दोनों बच्चों के शव महिला के दायें पैर के पास स्थित थे। कमरे में 6' X 7' आकार में ब्लड पूल पाया गया। ब्लड पूल के पास रक्त के छीटे पाए गए जिनकी दिशा ब्लड पूल से बाहर की ओर थी। तीनों शवों में रिगर मॉर्टिस आ रही थी। कमरे में पाये गये ब्लड छीटों की दिशा, रक्त रंजित पैरो के निशानों की माप, रक्त रंजित हथियार, रिगर मॉर्टिस की उपस्थिति आदि बताकर की अनुसंधान में सहायता की।

12. हत्या प्रकरण :-

मुकदमा सं. 143/18 धारा 302, 201 आई.पी.सी. थाना सुकेत जिला कोटा, ग्रामीण (राज0) मोबाइल फॉरेन्सिक यूनिट जिला कोटा द्वारा निरीक्षण पर शव पडे मिले स्थान से कुछ दूरी पर कच्चे कोट (पत्थर की दिवार), कच्चे कोट के पास गुजर रही पगडण्डी जोकि एक कच्चे मकान को जाती है पर रक्त की उपस्थिति के संकेत मिले। कच्चे मकान के बाहर मकान के बरामदे व मकान के अंदर रक्त की मौजुदगी मिली तथा रसोई घर के चूल्हे में मृतक बालक की चप्पले दबी मिली। मोबाइल फॉरेन्सिक यूनिट जिला कोटा द्वारा निरीक्षण पर बालक की हत्या कच्चे मकान में होना सिद्ध हुआ एवं मकान वाले को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ पर उसके द्वारा बालक ही हत्या करना स्वीकार किया गया। इस प्रकार अनुसंधान में सहायता की गई।

13. हत्या बनाम आत्महत्या:-

अप. संख्या - 01/2018 धारा - 174 सी. आर. पी. सी., थाना - मथुरा गेट, जिला - भरतपुर के प्रकरण में घटनास्थल एक होटल के बाथरूम में दो लाशें होना बताया गया, पुलिस द्वारा हत्या की आंशका व्यक्त की गई। एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण के पश्चात साक्ष्यों आधार पर प्रकरण को पुरूष द्वारा महिला की गोली मारकर हत्या कर, पुरूष द्वारा आत्महत्या करने के साक्ष्य पाये गये। बाद में पुलिस अनुसंधान में मामला प्रेम-प्रंसग का होना पाया गया।

14. विधायकों की निजी सम्पत्तियों व हिण्डौन रेल्वे स्टेशन पर आगजनी प्रकरण का खुलासा: -

माह अप्रेल 2018 में थाना हिण्डौन सिटी, जिला करौली के पूर्व विधायक व वर्तमान विधायक के घरों, दुकान, हॉस्टल व रेलवे स्टेशन में हुई आगजनी के प्रकरण में एफ. एस.एल. टीम द्वारा आगजनी के कारणों को स्पष्ट किया गया। इस प्रकरण में मानवाधिकार आयोग व विशिष्ट जॉच दल द्वारा एफ.एस.एल. कार्य की सराहना की गई।

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स का पता व दूरभाष

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर	
निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नेहरु नगर, जयपुर – 302016	0141-2301584, 0141-2301859 (फैक्स) 9413385400 E-mail : director.fsl@rajasthan.gov.in
लोक सूचना अधिकारी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला	0141-2301072
उपनिदेशक (अपराध घटनास्थल)	0141-2302217, 9413385401
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक हाउस, 8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड, मण्डोर, जोधपुर।	0291-2577966, 2577259 E-mail : rfsl.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक हाउस, चित्रकूट नगर, बुहाना बाईपास, उदयपुर	0294-2980133 E-mail : rfsl.udaipur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक हाउस, आर.ए.सी. ग्राउण्ड, रावतभाटा लिंक रोड, कोटा।	0744-2401644, 2400644 E-mail : rfsl.kota.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर	
उप निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 110-117, ट्रांजिट हॉस्टल, जी.ए.डी. कॉलोनी, पवनपुरी, बीकानेर।	0151-2242873 E-mail : rfsl.bikaner.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर	
सहायक निदेशक प्रभारी, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जनाना हास्पिटल के सामने, सीकर रोड, अजमेर।	9929953199 E-mail : rfsl.ajmer.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर	
अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 231, बापू नगर, भूरी सिंह व्यायामशाला के पास, भरतपुर	9460986307 E-mail : rfsl.bharatpur.fsl@rajasthan.gov.in

जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर

क्र0 सं0	जिला यूनिट	पदस्थापित अधिकारी / कर्मचारी	पता एवं मोबाइल नम्बर
		जयपुर रेन्ज	
1	जयपुर (शहर)	श्री पूरण प्रकाश योगी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री पूरणमल शर्मा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit (Jaipur City) Forensic Campus, Nehru Nagar, Jaipur- 302016; 9413385402(M)
2	जयपुर (ग्रामीण)	श्री हरी सिंह सैनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री गिर्राज पाठक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit (Jaipur Rural) Forensic Campus, Nehru Nagar, Jaipur- 302016; 9413385403(M)
3	सीकर	श्री अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज) श्री विजयभान सांखला, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit Guest House Building, Police Line, Sikar- 332 001, 9413385613 (M) 9667902226
4	झुन्झुनू	श्री अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री संजय मावलिया, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jhunjhunu- 333 001 9413385618 (M) 7023301783
5	दौसा	श्री मान सिंह मीणा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Purani Nijamat, Lalsot Road, Dausa- 303 303 9413385612 (M)
6	अलवर	डॉ0 राहुल दीक्षित, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री आकाश राव, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Old Arawali Vihar, Near Police Station, Alwar - 301 001 9413385410 (M) 9461230430
		अजमेर रेन्ज	
7	अजमेर	श्री संजय कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री मनोहर गुर्जर, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Old RPSC Building, Ajmer- 305 001 9413385406 (M) 8384900863
8	भीलवाड़ा	श्री सुरेन्द्र सैनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, City Police Control Room, Bhilwara- 311 001, 9413385617 (M)
9	नागौर	श्री मनीष मौर्य, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Traffic Police Station Campus, New Control Room, Nagaur, 9782358209 (M)
10	टोंक	श्रीमती नीलम जैन, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री विनोद कुमार प्रजापत, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, 38, Police Line, Tonk- 304 001 7737805061, 7230042871, 7597070464
		उदयपुर रेन्ज	
11	उदयपुर	श्री अभय प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री अशोक कुमार, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Forensic House, Chitrakoot Nagar, Buhana Byepass, Udaipur- 313 001, 9413385404 (M), 7742311646
12	चित्तौडगढ़	श्री सुरेन्द्र सैनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Chittorgarh 9413385617, 9413433055 (M)
13	बॉसवाड़ा	श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	Mobile Forensic Unit, Police Station Kotwali, Banswara. 9587436603 (M)
14	डूँगरपुर	श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit Quarter No. 111-8, Sabela Scheme, Dungarpur. 9413384164, 9587436603 (M)
15	राजसमंद	श्री अभय प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी अतिरिक्त चार्ज	Mobile Forensic Unit, R.K. Govt. Hospital, Rajsamand 9782144565, 9413385404 (M)
16	प्रतापगढ़	श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, Ist Floor, Office of Dy.SP. Pratapgarh. 9587436603, 9413384164 (M)

कोटा रेन्ज			
17	कोटा सिटी/ ग्रामीण	श्री कमलेश कुमार पंकज, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री कपिल कुमार कलवार, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Forensic House, Rawatbhata Link Road, Kota- 324009, 9413284619, 9785033805 (M)
18	झालावाड़	सुश्री अल्का चायल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jhalawar. 9468859245 (M)
19	बूँदी	श्री शम्भू दयाल मालव, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Bundi. 9571806761 (M)
20	बाँरा	श्री कमलेश कुमार पंकज, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, Police Line, Baran. 9785033805 (M)
बीकानेर रेन्ज			
21	बीकानेर	अरीना जैन, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री कृष्ण कुमार गुगड़, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, 108, Transit Hostel, GAD Colony, Pawanpuri, Bikaner - 334 003, 9413385409 (M)
22	चूरू	श्री चन्द्रशेखर टांक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Churu -331 001 9358043534 (M)
23	श्रीगंगानगर	श्री लोकेश कुमार, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Opp. Chief Medical and Health Office, Old Hospital, Railway Station Road, Sriganganagar- 335 001, 9413385615 (M)
24	हनुमानगढ़ यूनिट–बी	सुश्री अम्बिका, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Hanumangarh. 9119146464 (M)
जोधपुर रेन्ज			
25	जोधपुर सिटी/ ग्रामीण	डा0 संजय जैन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	Mobile Forensic Unit, Forensic House, 8 Mile Chungi Naka, Nagaur Road, Mandor, Jodhpur. 9414295005(M)
26	पाली	श्री संजय जैन, अतिरिक्त चार्ज	Mobile Forensic Unit, Police Line, Pali. 9414295005(M)
27	जालौर	श्री जगदीश विश्नोई, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jalore. 8562828297(M)
28	जैसलमेर	श्री नवीन गहलोत, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Jaisalmer- 345 001 9413384156(M), 9784181011 (M)
29	सिरोही	श्री अभय प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	Mobile Forensic Unit, 84/III/37 GAD Colony, Near RTO Office, Sirohi. 9413385404(M)
30	बाड़मेर	श्री नवीन गहलोत, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Police Line, Barmer. 9413384156(M) 9413384156, 9784181011 (M)
भरतपुर रेन्ज			
31	भरतपुर	श्री दीपक कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक,	Mobile Forensic Unit, Traffice Police Building, Traffic Chauraha, Bharatpur- 321 008 8114477042 (M)
32	सवाईमाधोपुर	श्री सुनील कुमार सिंघल, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Polytechnic College Road, Near Rajpootana Bio Tech. Pvt. Ltd., Teengal, Sawai Madhopur - 322 001. 8104752701 (M)
33	धौलपुर	श्री अविनेश कुमार मदेरणा,वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	Mobile Forensic Unit, Old S.P. Office (Court Campus) Dholpur. 9667066967 (M)
34	करौली	श्री अरूण कुमार चतुर्वेदी, प्रयोगशाला सहायक	Mobile Forensic Unit, Kotwali Campus, Karauli. 9460762379(M)

वार्ष 2018 में स्थापित किये गये महत्वपूर्ण उपकरणों की सूची

मुख्य प्रयोगशाला जयपुर एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में क्रय एवं स्थापित किये गये महत्वपूर्ण उपकरणों की सूची:-

Item No.	Name of Item	Quantity
1	Micro wave oven	1
2	Laminar Air Flow	1
3	Fuming chamber	1
4	Ultra-Sound Cleaner	1
5	CDR Analysis Software with accessories	1
6	U.P.S. 5 KVA	1
7	Muffle-Furnace	5
8	Table Top centrifuge	2
9	Podium digital, Electronic touch interactive Display, 3D display unit, speakers, mic and other accessories	1 set
10	Autoclave	1
11	UV Lamp Box	4
12	UV Lamp and Chamber	2
13	Printer	40
14	Heavy Duty Printer	2
15	LAN Network	One Set
16	Laptop	1
17	Portable LED Projector	1
18	High speed computers etc	4
19	High speed Laptop & other Laptop	4+1=5

मुख्य प्रयोगशाला जयपुर में सी.एम.सी./अपग्रेड/रिपेयर उपकरणों की सूची:-

Item No.	Name of Item	Quantity
1	DNA Sequensor	1
2	Varity PCR Machine	1
3	PCR Machine	1
4	GC-MS	1
5	XRY Mobile Forensic softweare	1
6	FTK Computer Forensic softweare	1

उपलब्धियाँ

1. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों का प्राथमिकता पर परीक्षण कर निस्तारण किया जा रहा है। जिसके लिए प्रयोगशाला की तकनीकी परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया।
2. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु मुख्य प्रयोगशाला जयपुर के अतिरिक्त जोधपुर तथा बीकानेर रेंज के विवादग्रस्त प्रलेख का परीक्षण प्रलेख खण्ड व ट्रैप प्रकरणों का परीक्षण रसायन खण्ड, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में 01-03-2016 से प्रारम्भ किया गया। इसी क्रम में 15.02.2016 से क्षेत्रीय प्रयोगशाला उदयपुर में ट्रैप प्रकरणों का परीक्षण कार्य रसायन खण्ड में आरम्भ किया गया।
3. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे पॉलिग्राफ सेंटर स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
4. बीकानेर एवं अजमेर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशिष्ट डिजाईन के भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है।
5. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन किया जा चुका है।
6. अपराध प्रादर्शो की समुचित जाँच सुविधा के आधुनिकीकरण के क्रम में संवेदनशील उपकरणों से आधुनिकीकरण किया गया है।
7. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में सीरम खण्ड प्रारंभ किया गया है।
8. ट्रेनिंग सेंटर प्रारम्भ कर 180 प्रशिक्षणार्थियों को ट्रैनिंग दी गई।

भविष्य की योजनाऐं

1. मुख्य प्रयोगशाला जयपुर में 'एडवांस्ड सेन्टर फॉर साईबर फोरेंसिक्स' की स्थापना।
2. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर परिसर के डीएनए भवन के प्रथम तल पर साईबर फोरेंसिक खण्ड का भवन बनवाया जाना।
3. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा में नये नारकोटिक खण्ड एवं अजमेर में नये जैविक खण्ड की स्थापना।
4. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जैविक खण्ड आरम्भ किया जाना है।
5. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर के लिए भवन निर्माण कार्य।
6. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के पांच दशक पुराने कैडर का पुनर्गठन किया जाना है।